अभियान

समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने दिए निर्देश

नई.

ढोढर जैसी कार्रवाई सभी जगह हो, कोई गलत फायदा न उठाए

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। भू-माफिया तथा अन्य माफियाओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई जारी रखी जाए। जावरा के ढोढर में जैसी कार्रवाई की गई है, उसी तरह अन्य एसडीएम तथा तहसीलदार भी कार्रवाई करें। यह निर्देश सोमवार को समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने दिए। कलेक्टर ने कहा कि माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई में यह भी सुनिश्चित किया जाए कि नीचे का अमला वातावरण का अनैतिक लाभ नहीं उठाए।

बैठक में तहसीलदार ग्रामीण ने बताया कि नामली में 15 अवैध कालोनियां चिन्हित की गई है जिनके विरुद्ध नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार पटवारियों की सोमवार तथा गुरुवार को उनके मुख्यालय पर उपस्थिति नहीं होने पर संबंधित तहसीलदार जिम्मेदार रहेगा। कलेक्टर ने समयावधि पत्रों की बैठक में वाणिज्य कर अधिकारी को भी उपस्थित रहने व मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की समीक्षा में सहकारिता विभाग को बेहतर कार्य करने के लिए निर्देशित किया। ऊर्जा विभाग को 90 अंक लाने, जावरा के तहसीलदार तथा मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं आलोट मुख्य नगरपालिका अधिकारी के कमजोर परफार्मेंस पर नाराजगी व्यक्त की गई। आलोट, जावरा के सीएमओ के प्रति असंतोष व्यक्त करते हुए कहा गया कि उनके कारण जिले की रैंकिंग खराब हो रही है। आरटीओ को भी परफार्मेंस में सुधार के लिए निर्देशित किया गया।

खंड शिक्षा अधिकारी हफ्ते में चार दिन स्कूलों का निरीक्षण करेंगे

शासकीय स्कूलों में शिक्षकों की बगैर बताए या अवकाश स्वीकृति के बगैर अनुपस्थिति पर कलेक्टर ने शिक्षा विभाग अधिकारियों को निर्देशित किया कि यदि शिक्षकों की स्कूलों में उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की गई तो ना केवल शिक्षक बल्कि अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। विकासखंड शिक्षा अधिकारी हफ्ते में 4 दिन स्कूलों का निरीक्षण करेंगे। सभी एसडीएम, तहसीलदारों तथा जनपद पंचायतों के सीईओ को भी स्कूलों के निरीक्षण और शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया।

जिले का लगातार भ्रमण करें सीएमएचओ

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. प्रभाकर ननावरे को कलेक्टर ने निर्देशित किया कि वे जिले का सतत भ्रमण कर स्वास्थ्य कार्यक्रमों योजनाओं की मानीटरिंग करें। कलेक्टर ने जिला पंचायत सीईओ जमुना भिड़े का उदाहरण देते हुए कहा कि सीईओ का चार्ज लेने के मात्र 12 दिनों में उन्होंने सभी जनपद पंचायतों का भ्रमण कर लिया गया।

बाजना-सैलाना में सैंपलिंग कम होने पर नाराजगी

कलेक्टर, फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर्स की कार्यप्रणाली से इस बैठक में भी नाराज रहे। खासतौर पर सैलाना, बाजना, रावटी क्षेत्रों में मिलावट की जांच के लिए सैंपल लेने में इंस्पेक्टर द्वारा लेतलाली बरतने पर नाराजगी व्यक्त की गई।

नईदुनिया 12/10/21

31 दिसंबर तक पूरा करें गोपनीय चरित्रावली का काम

सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को लिखा पत्र

भोपाल ■ कन्हैया लोधी

किसी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी कितने दक्ष हैं और अपने काम के प्रति कितने समर्पित। यह पता चलता है उनकी गोपनीय चरित्रावली यानी सीआर से। सीआर लिखना एक सामान्य प्रक्रिया है, जो कि हर वर्ष की जाती है। इसी से भविष्य में अधिकारियों की पदोन्नति और क्रमोन्नति की राह निकलती है। लिहाजा यह काम बेहद गंभीर भी है। एक निगेटिव सीआर किसी अधिकारी- कर्मचारी के भविष्य के अरमानों पर पानी भी फेर सकती है। ऐसे में इस संजीदा काम के प्रति भी विभाग जवाबदेह नहीं हैं। समय पर यह काम भी नहीं होता। ऐसे में अब सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को बाकायदा अल्टीमेटम दे दिया है। विभाग ने सभी विभागों के लिए समय समय पर यह काम पूरा करने के लिए टाइम लिमिट तय कर दी गई है। यदि यह काम समय पर पूरा नहीं किया गया तो फिर दोषी अधिकारी को निगेटिव मार्किंग का भी सामना करना पड़ सकता है।

शासकीय सेवकों का सीआर वर्ष 2020-21 की अवधि के लिए लिखा जाना है। वर्ष 2020 और 2021 की अवधि में देश के साथ प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण का साया रहा। इस दौरान कई माह तक लॉकडाउन की नौबत आई और शासकीय कार्यालयों में भी बंदिशें लगी रहीं। इसी को ध्यान में रखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने गोपनीय चरित्रावली लिखने की समय - सीमा को भी नए सिरे से निर्धारित की है।

जीएडी ने नए सिरे से तय की समय-सीमा

सामान्य प्रशासन विभाग ने नए सिरे से समय- सीमा तय की है, उस हिसाब से गोपनीय चरित्रावली का काम हर हाल में 31 दिसंबर तक पूरा करना होगा। तय किए गए कार्यक्रम के हिसाब से संबंधित शासकीय अधिकारियों- कर्मचारियों को फॉर्म उपलब्ध कराने की तिथि 31 जुलाई तक निर्धारित की गई थी। इसी तरह सेल्फ असेसमेंट पेश करने की तिथि 31 अगस्त तक की गई थी। प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा गोपनीय प्रतिवेदन में मतांकन के लिए 30 सितंबर तक का समय तय किया गया था, वहीं समीक्षक अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन में मतांकन का समय 30 नवंबर तक निर्धारित किया गया है। स्वीकारकर्ता अधिकारी द्वारा गोपनीय प्रतिवेदन में मतांकन का समय-सीमा 31 दिसंबर तय की गई है।

31 दिसंबर के बाद दर्ज होने वाले मतांकन को समय बाधित माना जाएगा

सामान्य प्रशासन विभाग ने जो निर्देश जारी किए है, उस हिसाब से सभी स्तरों से मूल्यांकन किए जाने के लिए अंतिम तिथि 30 नवंबर रहेगी। प्रतिवेदक अधिकारी के लिए दो माह और समीक्षक अधिकारी के लिए एक माह का समय तय किया गया है। 31 दिसंबर के बाद दर्ज होने वाले दर्ज होने वाले मतांकन को समय - बाधित माना जाएगा। इस तरह की सील बाकायदा गोपनीय प्रतिवेदन में अंकित की जाएगी। यदि संबंधित अधिकारी ने अपना स्वमूल्यांकन ही उसके लिए निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया है तो उसे भी समय बाधित माना जाएगा। इस संबंध में भी सील गोपनीय प्रतिवेदन में अंकित होगी। जीएडी ने यह भी सांफ किया है कि यदि संबंधित अधिकारी - कर्मचारी ने तो अपना स्वमूल्यांकन समय पर प्रस्तुत कर दिया है, परंतु उस पर चैनल अनुसार किसी भी स्तर पर मतांकन 31 दिसंबर तक नहीं हो पाया है तो इसके बाद कोई भी टिप्पणी नहीं लिखी जा सकेगी और ऐसी स्थिति में इन स्तरों पर मूल्यांकन को समय बाधित माना जाएगा। ऐसे मामलों में संबंधित पदोन्नति समिति द्वारा अधिकारी-कर्मचारी के समग्र अभिलेख और संबंधित वर्ष के स्वमूल्यांकन के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा।

देरी का मामला सीआर में होगा दर्ज

सामान्य प्रशासन विभाग ने साफ किया है कि समयावधि में गोपनीय प्रतिवेदन नहीं लिखने वाले प्रतिवेदक, समीक्षक, स्वीकारकर्ता अधिकारियों से देरी के लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाएगा। ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए दोषी अधिकारी के गोपनीय प्रतिवेदन में बाकायदा इसका उल्लेख भी किया जाएगा।

२१५

राज एक्सप्रेस 12/10/21

भास्कर ब्रेकिंग • अवैध आय से बनीं वैध संपत्तियों पर किसी भी समय चल सकता है बुलडोजर

ऑपरेशन माफिया

प्रशासन ने जिलेभर से 200 की लिस्ट बनाई, 40 से ज्यादा बाहुबलियों ने अवैध आय से बना रखी हैं संपत्तियां

कमलेश पांडेय | रतलाम

ढोढर में 106 दुकानें ध्वस्त करने के बाद रतलाम शहर की बारी है। जिले में 200 से अधिक लोगों की लिस्ट बनाई है। इनमें से 40 ऐसे हैं जिनके बारे में अवैध संपत्ति और निर्माण की जानकारी मिली है। इनमें 8 शराब माफिया, 12 ड्रग माफिया, 5 रेत माफिया, 5 सूदखोर हैं। 10 गुंडातत्व भी लिस्ट में शामिल हैं जिन्होंने धमकाकर संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। शेष की जानकारी जुटाई जा रही है।

सफेदपोश माफिया के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में 24 सितंबर को जिला और पुलिस प्रशासन की संयुक्त बैठक हुई थी। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने इसी बैठक में रतलाम, जावरा, सैलाना और आलोट एसडीएम को माफिया की सूची तैयार करने के निर्देश दिए। इसके अनुसार भू माफिया, रेत माफिया, राशन माफिया, खनन माफिया, दवा माफिया तथा अवैध रूप से धन अर्जित करने वालों की लिस्ट बनाई है।

उधर, एसपी गौरव तिवारी ने जिले में हथियार माफिया, शराब माफिया, चिटफंड कंपनी बनाकर धोखाधड़ी करने वालों, सट्टा और जुआघर चलाकर संपत्ति अर्जित करने वालों तथा नशीली दवाएं बेचने वालों की लिस्ट बनवाई है। लिस्ट में अफीम, स्मैक, ब्राउनशुगर तथा डोडाचूरा की तस्करी से संपत्ति बनाने वालों की संख्या जावरा और आलोट सब डिवीजन में ज्यादा है। शहर में सफेदपोश कब्जे की सरकारी जमीन पर पर निर्माण कर करने, जुआ, सट्टेबाजी और ब्याजखोरी वाले हैं। सैलाना में ब्याजखोरी और जमीन पर कब्जा करने वाले सफेदपोश ज्यादा है।

अब तक यहां हो चुकी कार्रवाई

- ढोढर में सरकारी जमीन पर बनी 106 दुकानें तोड़ी। 45 दुकानें किराए पर दे दी थीं और करीब 5 लाख रुपए किराया वसूला जा रहा था। अन्य दुकानों की पगड़ी वसूल ली थी।
- रतलाम में लिस्टेड गुंडे नाहरू उर्फ चांकू के कब्जे से खाचरौद रोड पर करीब साढ़े तीन करोड़ रुपए कीमत की डेढ़ बीघा जमीन मुक्त करवाई।
- जावरा से नामली के बीच फोरलेन पर अनुमति के बगैर बने 24 ढाबे गिराए। ढाबा चलाने वाले अधिकांश लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड था। ढाबों का उपयोग तस्करी में किया जा रहा था।
- त्रिपोलिया गेट पर लिस्टेड गुंडे संजय चौधरी का अवैध निर्माण तोड़ा गया। हाल ही में एक हमले को लेकर उसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ और वह इस समय जेल में है।
- अवैध रूप से कॉलोनी काटने पर नामली और ताल में कॉलोनाइजरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए। नामली में 15 अवैध कॉलोनियां चिह्नित की हैं। भास्कर

प्रशासन ने लिस्ट के अलावा इनकी भी फाइलें खंगालीं

फोरलेन स्थित फैक्टरी के लिए रियासतकाल में भूमि आवंटित की थी। रियासतकाल में फैक्टरी के लिए जमीन नियम के अनुसार फैक्टरी बंद होने पर वापस शासन को मिलना थी। शासन ने भंवरगढ़ी (फलसोड़ी) स्थित 2700 बीघा जमीन कब्जे में ले ली है परंतु शहर में स्थित फैक्टरी की भूमि के एक हिस्से में कॉलोनी कट चुकी है। 600 करोड़ रुपए कीमत की 25 बीघा जमीन कॉलोनाइजर के कब्जे में है। विवादित भूमि का मामला रेवेन्यू कोर्ट विचाराधीन है। इसी तरह रियासत काल में सैलाना रोड पर आईस फैक्टरी के लिए 99 साल की लीज पर जमीन दी है। इस जमीन को बेचने के लिए सौदा होने की चर्चा है। कलेक्टर ने मामले की फाइल परीक्षण के लिए मंगवाई है। रियासत काल में ही फर्स्ट चर्च और मिशन हॉस्पिटल के लिए भूमि दी थी। भूमि बेचने के लिए सौदे की चर्चा होने की बात को लेकर चर्चाओं का बाजार गरम है। भूमि को लेकर शिकायत हुई है। प्रकरण की फाइल भी कलेक्टोरेट में खुली है। सैलाना ब्रिज के पास निर्माणाधीन द्वारका रेसीडेंसी के स्थान पर रियासत काल में जवाहर आइल मिल थी। ऑइल मिल के लिए जमीन 99 साल की लीज पर दी थी। लीज खत्म होने के बाद यह जमीन बिक गई। हाईकोर्ट के आदेश के बाद नामांतरण भी हो गया। सरकारी जमीन पर सड़क निर्माण करने पर कलेक्टर ने कार्रवाई की है। निर्माण की अनुमति को लेकर जांच चल रही है।

सरकारी जमीन निकालेंगे

सरकारी जमीन को सुरक्षित करने की कार्रवाई कर रहे हैं। रतलाम में अवैध कब्जा हटाया जा चुका है। कुछ संपत्तियों की जांच चल रही है।

कुमार पुरुषोत्तम, कलेक्टर

अवैध निर्माण तोड़ा जाएगा

अवैध रूप से लाभ कमाकर संपत्ति अर्जित करने वालों की सूची बनाकर जांच की जा रही है। अवैध निर्माण को तोड़ा गया है। कार्यवाही जारी रहेगी।

गौरव तिवारी, एसपी

दै. भास्कर 12/10/21

खंड शिक्षा अधिकारी हफ्ते में 4 दिन स्कूलों के निरीक्षण करेंगे

कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश

रतलाम। जिले में स्कूलों के निरीक्षण के दौरान शिक्षकों की अनुपस्थिति, बगैर बताए गैर हाजरी, बगैर अवकाश स्वीकृति के स्कूलों में शिक्षकों की अनुपस्थिति पर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा सख्त रवैया अख्तियार किया गया है। शिक्षा विभाग

▸ स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए

को निर्देशित किया गया है कि यदि शिक्षकों की स्कूलों में उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की गई तो ना केवल शिक्षक बल्कि अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी।

समयावधि पत्रों की सोमवार को संपन्न बैठक में कलेक्टर ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्कूलों में समय सीमा में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करें। विकासखंड शिक्षा अधिकारी हफ्ते में 4 दिन स्कूलों का निरीक्षण करेंगे। बैठक में अपर कलेक्टर एमएल आर्य, जिला वन मंडल अधिकारी डुडवे तथा जिला अधिकारी उपस्थित थे।

सभी एसडीएम, तहसीलदारों तथा

जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को भी स्कूलों के निरीक्षण और शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया। कलेक्टर द्वारा बैठक में विभिन्न विभागों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों की भी जानकारी ली गई। शासन के निर्देशानुसार पटवारियों की सोमवार तथा गुरुवार को उनके मुख्यालय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा गया अन्यथा की स्थिति में संबंधित तहसीलदार जिम्मेदार रहेगा। भू-माफिया तथा अन्य माफियाओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई जारी रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। तहसीलदार ग्रामीण ने बताया कि नामली में 15 अवैध कालोनिया चिन्हित की गई हैं जिनके विरुद्ध नोटिस जारी किए जा रहे हैं, उसके पश्चात कार्रवाई की जाएगी। जावरा की टीम द्वारा की गई कार्रवाई की सराहना करते हुए कलेक्टर द्वारा इसी प्रकार की कार्रवाई अन्य एसडीएम तथा तहसीलदारों को भी करने के लिए निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई में यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि नीचे

जिले की रैंकिंग खराब हो रही

कलेक्टर द्वारा समयावधि पत्रों की बैठक में वाणिज्य कर अधिकारी को भी उपस्थित रहने के लिए निर्देशित किया गया। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की समीक्षा में सहकारिता विभाग को बेहतर कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया। ऊर्जा विभाग को 90 अंक लाने, जावरा के तहसीलदार तथा मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं आलोट मुख्य नगरपालिका अधिकारी के कमजोर परफॉर्मेंस पर नाराजगी व्यक्त की गई। आलोट, जावरा के नगर पालिका अधिकारियों के प्रति असंतोष व्यक्त करते हुए कहा गया कि उनके कारण जिले की रैंकिंग खराब हो रही है।

का अमला वातावरण का अनैतिक लाभ नहीं उठाएं।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रभाकर ननावरे को कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया कि वह जिले का सतत भ्रमण करें और स्वास्थ्य कार्यक्रमों योजनाओं की मानिटरिंग करें। इस संदर्भ में कलेक्टर द्वारा जिला पंचायत सीईओ जमुना भिड़े का उदाहरण दिया गया जिनके द्वारा सीईओ का चार्ज लेने के मात्र 12 दिनों में ही सभी जनपद पंचायतों का भ्रमण कर लिया गया। आरटीओ को भी सीएम हेल्पलाइन परफॉर्मेंस में सुधार के लिए निर्देशित किया गया।

कलेक्टर, फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर्स की कार्यप्रणाली से इस बैठक में भी नाराज रहे। खासतौर पर सैलाना, बाजना, रावटी क्षेत्रों में मिलावट की जांच करने नमूने लेने के कार्य में इंस्पेक्टर द्वारा लेतलाली बरतने पर नाराजगी व्यक्त की गई। जिले में वनाधिकार अधिनियम के तहत बाजना तथा सैलाना क्षेत्रों के आदिवासी हितग्राहियों को सभी शासकीय दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, समग्र आईडी उपलब्ध कराने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिए गए। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि टूर प्रोग्राम नियमित रूप से बनाकर कलेक्टर से अप्रुव करवाएं। सप्ताह में कम से कम 2 दिवस मैदानी क्षेत्र का भ्रमण अनिवार्य रूप से करें।

नवभारत 12/10/21

कॉलोनियों में बगीचों की जमीन हड़पने वालों पर कार्रवाई नहीं

गरबों में नहीं चली तो अब बच्चों के झूलों पर ही लगा दिया प्रहरा

पत्रिका सिटी इश्यू

रतलाम. शहर में कोरोना के प्रोटोकाल की आड़ में गरबों की मंजूरी नहीं दी गई थी। जब पत्रिका ने इसके लिए अभियान चलाया व आमजन की आवाज को शासन तक पहुंचाया तब शासन के आदेश पर इसकी मंजूरी देनी पड़ी। अब गरबों को नहीं रोक पाए तो प्रशासन ने बच्चों के झूलों पर प्रहरा लगाया है।

प्रतिवर्ष नगर निगम कालिका माता क्षेत्र से लेकर अंबेडकर मैदान में मेले का दस दिवसीय आयोजन करता है। कोरोना काल में इसका आयोजन नहीं हुआ। दो वर्ष से रुके हुए इस आयोजन से शहर के कई कारोबारियों का कामकाज तो प्रभावित हुआ ही है इसके साथ साथ बाहर से जो व्यापारी आते थे उन पर भी असर हुआ। इन सब के बीच कालिका माता मंदिर क्षेत्र में नगर निगम के राजस्व विभाग को किराया देकर जो लोग वर्षों से झूला संचालन का काम कर रहे हैं उनको भी निगम व प्रशासन की टीम ने काम बंद करने को मजबूर कर दिया। एक तरफ शहर में कई कॉलोनियों की बगीचों की भूमि पर बगीचा नहीं बना। इस प्रकार की 16 कॉलोनियों की जांच के दावे नगर निगम ने किए। दावों के बाद अब तक जांच रिपोर्ट कागज से बाहर नहीं आ पाए। अब बच्चों के सामने मनोरंजन के लिए स्थान का अभाव हो गया है। ऐसे में जो बचे हुए मनोरंजन के क्षेत्र है, उनको भी निगम व प्रशासन छीन रहा है।

फैक्ट फाइल

कब से लगे हुए है झूले
25 से अधिक वर्ष से
कितने झूले लगे हुए
15 से अधिक प्रकार के
निगम को राजस्व हर माह देते
50 हजार से अधिक रुपए का
कितनी दुकाने हटाई
40 से अधिक
रोजगार पर संकट
65 से अधिक पर

गाइड लाइन का पालन

शासन ने मंदिर में दर्शन व गरबों के लिए जो गाइड लाइन दी उसका पालन करवाया जा रहा है। मेले नहीं लगे, यह स्पष्ट आदेश है, इसलिए एक स्थान पर भीड़ एकत्रित नहीं हो व कोरोना की संभावना भी नहीं बने, इसका विशेष ध्यान रखा गया है।

- अभिषेक गैहलोत, शहर अनुविभागीय अधिकारी

पत्रिका

पत्रिका 12/10/21

खंड शिक्षा अधिकारी को हफ्ते में 4 दिन स्कूलों के निरीक्षण करने के निर्देश दिए

समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक का हुआ आयोजन

रतलाम ■ राज न्यूज नेटवर्क

रतलाम जिले में स्कूलों के निरीक्षण के दौरान शिक्षकों की अनुपस्थिति, बगैर बताए गैर हाजरी, बगैर अवकाश स्वीकृति के स्कूलों में शिक्षकों की अनुपस्थिति पर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा सख्त रवैया अख्तियार किया गया है। शिक्षा विभाग को निर्देशित किया गया है कि यदि शिक्षकों की स्कूलों में उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की गई तो ना केवल शिक्षक बल्कि अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। समयावधि पत्रों की सोमवार को संपन्न बैठक में कलेक्टर ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्कूलों में समय सीमा में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करें। विकासखंड शिक्षा अधिकारी हफ्ते में 4 दिन स्कूलों का निरीक्षण करेंगे। बैठक में अपर कलेक्टर एम.एल. आर्य, जिला वन मंडल अधिकारी श्री डुडवे तथा जिला अधिकारी उपस्थित थे।

सभी एसडीएम, तहसीलदारों तथा जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को भी स्कूलों के निरीक्षण और शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया। कलेक्टर द्वारा बैठक में विभिन्न विभागों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों की भी जानकारी ली गई। शासन के निर्देशानुसार पटवारियों की सोमवार तथा गुरुवार को उनके मुख्यालय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा गया अन्यथा की स्थिति में संबंधित तहसीलदार जिम्मेदार रहेगा। भू-माफिया तथा अन्य माफियाओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई जारी रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। तहसीलदार ग्रामीण ने बताया कि नामली में 15 अवैध कालोनिया चिन्हित की गई हैं जिनके विरुद्ध नोटिस जारी किए जा रहे हैं, उसके पश्चात कार्रवाई की जाएगी। जावरा की टीम द्वारा की गई कार्रवाई की सराहना करते हुए कलेक्टर द्वारा इसी प्रकार की कार्रवाई अन्य एसडीएम तथा तहसीलदारों को भी करने के लिए निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई में यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि नीचे का अमला वातावरण का अनैतिक लाभ नहीं उठाएं। कलेक्टर द्वारा समयावधि पत्रों की बैठक में वाणिज्य कर अधिकारी को भी उपस्थित रहने के लिए निर्देशित किया गया। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की समीक्षा में सहकारिता विभाग को बेहतर कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया। ऊर्जा विभाग को 90 अंक लाने, जावरा के तहसीलदार तथा मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं आलोट मुख्य नगरपालिका अधिकारी के कमजोर परफॉर्मेंस पर नाराजगी व्यक्त की गई। आलोट, जावरा के नगर पालिका अधिकारियों के प्रति असंतोष व्यक्त करते हुए कहा गया कि उनके कारण जिले की रैंकिंग खराब हो रही है।

इसलिए नाराज रहे...

कलेक्टर, फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर्स की कार्यप्रणाली से इस बैठक में भी नाराज रहे। खासतौर पर सैलाना, बाजना, रावटी क्षेत्रों में मिलावट की जांच करने नमूने लेने के कार्य में इंस्पेक्टर द्वारा लेतलाली बरतने पर नाराजगी व्यक्त की गई। जिले में वनाधिकार अधिनियम के तहत बाजना तथा सैलाना क्षेत्रों के आदिवासी हितग्राहियों को सभी शासकीय दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, समग्र आईडी उपलब्ध कराने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिए गए। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि टूर प्रोग्राम नियमित रूप से बनाकर कलेक्टर से अप्रूव करवाएं। सप्ताह में कम से कम 2 दिवस मैदानी क्षेत्र का भ्रमण अनिवार्य रूप से करें। २१५

२१५ एक्सप्रेस 12/10/21

पत्रिका की लगातार खबरों के बाद कलेक्टर कोर्ट का बड़ा फैसला, आवासीय परिसर की अनुमति का भी होगा परीक्षण

द्वारका की बताई सड़क अवैध, नपेंगे दोषी अफसर

शहर में अवैध रूप से आवासीय परिसर को लेकर पहली बार आया बड़ा निर्णय | सरकारी भूमि पर कब्जा कर बताया निजी रास्ता, यह दिखाकर अनुमति ले ली

कलेक्टर कोर्ट के फैसले के मुख्य तथ्य

पहला...सरकारी भूमि पर जमा लिया कब्जा

बिल्डर जितेन्द्र नागल ने द्वारका रेसीडेंसी तक आवाजाही के लिए सरकारी भूमि को निजी रास्ता बता दिया था, कलेक्टर कोर्ट ने इसे सरकारी भूमि का अवैध कब्जा माना है।

दूसरा... रेसीडेंसी का अनुमति आधार गलत

बिल्डर ने रेसीडेंसी की अनुमति के लिए रास्ते को आधार भी बनाया है, इसी के आधार पर आवासीय परिसर की अनुमति ली, कलेक्टर कोर्ट का कहना है कि रास्ता तो है ही नहीं।

तीसरा... अफसरों की भूमिका भी संदिग्ध

रेसीडेंसी को अनुमति के दौरान नगर निगम, नगर तथा ग्राम निवेश के अफसरों की भूमिका संदिग्ध, कलेक्टर कोर्ट का मानना अफसरों ने नियम का पालन नहीं किया।

चौथा... 15 दिन में परीक्षण कर देंगे प्रतिवेदन

रेसीडेंसी के बिल्डर का पक्ष जानने के साथ ही जांच रिपोर्ट में कई स्तरों पर खामियां पाई गई है, कलेक्टर कोर्ट ने अनुमति का 15 दिन में परीक्षण कर कार्रवाई के लिए कहा है।

पांचवां... अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव

अनुमति के दौरान नियमों को ताक पर रखने वाले अफसरों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए 15 दिन में प्रतिवेदन मांगा, कलेक्टर कोर्ट के आदेश पर आगे प्रस्ताव बनाएंगे।

मनमर्जी का निर्माण

द्वारका रेसीडेंसी का गड़बड़झाला

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. शहर के सैलाना रोड पर निर्मित द्वारका रेसीडेंसी के मामले में सोमवार शाम को जिला दंडाधिकारी (कलेक्टर) कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया। निर्णय के अनुसार सरकारी भूमि पर जो सड़क बनाई गई है वो अवैध है, वो भूमि शासकीय ही रहेगी। पूर्व में जिन अधिकारियों ने द्वारका रेसीडेंसी निर्माण के दौरान गलत तरीके से साथ दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रस्ताव बनाकर शासन को एक पखवाड़े में भेजा जाएगा। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है वो यह है कि नगर व ग्राम निवेश (टीएंडसीपी) व नगर निगम ने जो

लाभ पहुंचाने के लिए दी है, उसका परीक्षण कर निरस्त की जाए। द्वारका रेसीडेंसी का निर्माण 2019 में शुरू हुआ था। तब इसके बारे में शिकायत की गई थी। इसका उल्लेख कलेक्टर ने अपने आदेश में भी किया है, जो आदेश जारी किया गया है, उसमें इस बात का उल्लेख है कि सैलाना रोड स्थित द्वारका रेसीडेंसी संबंधी जो शिकायत मिली हैं, उसमे सर्वे क्रमांक 43/1 को क्यो रास्ता माना गया, इसका उल्लेख नगर निगम ने जांच कमेटी बनने के बाद नहीं

पत्रिका ने प्रमुखता से परत-दर-परत किया खुलासा

शहर के सैलाना रोड की द्वारका रेसीडेंसी को लेकर मिले तथ्यों के आधार पर पत्रिका ने लगातार खुलासे करते हुए समाचार प्रकाशित किए। समाचारों में सभी पक्षों को शामिल किया गया। आखिरकार जांच रिपोर्ट के आधार पर कागजों में कैद सरकारी भूमि उजागर हुई और मामला कलेक्टर कोर्ट तक पहुंचा, जहां से सोमवार को फैसला आया है।

पत्रिका में प्रकाशित | पत्रिका में प्रकाशित | पत्रिका में प्रकाशित

₹ 3 करोड़ है मूल्य

कलेक्टर कोर्ट के आदेश के अनुसार अगर सरकारी भूमि को सुरक्षित नहीं रखा जाता है कि 15276 वर्गफीट भूमि जिसकी कीमत तीन करोड़ रुपए है का सरकार को नुकसान होगा। शासकीय भूमि या सार्वजनिक संपत्ति किसी व्यक्ति विशेष, कॉलोनाइजर, डेवलपर के उपयोग के लिए नहीं है।

अब आगे यह होगा...

मंजूरी निरस्त पर पखवाड़े में प्रतिवेदन

कलेक्टर कोर्ट ने लिखा है कि एक पखवाड़े में नगर निगम आयुक्त व टीएंडसीपी के उपसंचालक द्वारा पूर्व में द्वारका रेसीडेंसी को दी गई अनुमति का परीक्षण करें व विधि अनुसार इसको निरस्त करें, जो दोषी अधिकारी है उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए शासन को प्रस्ताव भेजे। एक पखवाड़े में आयुक्त व टीएंडसीपी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

इस तरह चला था जांच व रिपोर्ट का दौर

समिति ने की इन पर जांच

9 अगस्त 2021 को जांच समिति का गठन किया गया। इसमे तीन बिंदु जांच में शामिल किए गए। इसमें पहले नंबर पर क्या नगर निगम व टीएनसी ने मिलकर शासकीय भूमि को आम रास्ता मानकर बिल्डर को लाभ पहुंचाया। सर्वे क्रमांक 43/1 सरकारी भूमि है तो बिल्डर ने किस हैसियत से सरकारी रोड पर सड़क का निर्माण किया। कमेटी को यह भी जांच करना थी कि उच्च न्यायालय के आदेश के बाद कितनी भूमि का नामांतरण किया गया व शासकीय भूमि पर कब्जा तो नहीं है।

15 दिन में जांच हुई थी पूरी

24 अगस्त को जांच कमेटी ने रिपोर्ट दी। निगम आयुक्त, उप संचालक नगर व ग्राम निवेश, शहर एसडीएम जांच कमेटी में शामिल रहे व अपनी रिपोर्ट दी। कमेटी ने बताया सरकारी भूमि सर्वे क्रमांक 43/1 को रास्ता बताकर अनुमती प्राप्त की गई। बिल्डर ने बगैर किसी सक्षम आदेश के यह कार्य किया। इसके अलावा द्वारका रेसीडेंसी में आने जाने के लिए सरकारी भूमि पर एप्रोच रोड बनाया गया। 15276 वर्गफीट भूमि पर से 8950 वर्गफीट पर रास्ता बताकर रेसीडेंसी की मंजूरी निर्माण के लिए ली।

आदेश में इस तरह बिल्डर की ओर से दिए तर्कों पर निर्णय

भ्रमित करके ली मंजूरी- कलेक्टर कोर्ट ने आदेश में तथ्य को दर्शाया है कि पूरे प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि अगर बिल्डर जितेंद्र नागल ने जिस द्वारका रेसीडेंसी का निर्माण किया जा रहा है वो 0.760 हैक्टेयर रजिस्टर्ड फर्म हैदरी एंड संस के लिए नजूल की आपत्ती ली गई। नागल को चाहिए था कि भूमि पर सड़क का निर्माण करें। भूमि पर उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ के आदेश से स्वामित्व मिला था। परंतु नगर निगम तथा नगर व ग्राम निवेश के अधिकारियों के साथ धोखाधड़ी की व शासकीय भूमि को रास्ता बताया।

जहां रहते भाजपा पदाधिकारी, वहां से कचरा तक नहीं उठ रहा

रतलाम. शहर में स्वच्छता के दावे हवा में खोखले साबित हो रहे हैं। शहर में अब तक तो मैजिक वाहन ही चार से पांच दिन तक मोहल्लों में नहीं पहुंच पा रही थी, अब जहां भाजपा के बड़े पदाधिकारी रहते है वहां सफाईकर्मी तक नहीं पहुंच रहे है। टाटानगर के लोगों ने कचरा नहीं उठने के बाद सोमवार को दिनभर निगम के स्वास्थ्य अधिकारियों को फोन लगाया, लेकिन अधिकारियों ने फोन तक नहीं उठाया।

शहर में स्वास्थ्य विभाग का कामकाज बे पटरी हो गया है। सुविधाओं मिलने के बाद कर्मचारी वार्डो में जाने से कतराने लगे है। यह स्थिति तब है जब शहर में डेंगू का दंश जोर मार रहा है इसके बाद भी शहर के विभिन्न मोहल्लों में से कचरा नहीं उठना निगम के स्वास्थ्य विभाग के काम करने के तरीके को बता रहा है। हाल ही में भाजपा के मीडिया प्रभारी अरूण राव के कस्तुरबा नगर शक्ति नगर क्षेत्र में कचरा नहीं उठने की बात सामने आई थी, अब सह मीडिया प्रभारी अरूण त्रिपाठी के बुद्धेश्वर रोड टाटा नगर क्षेत्र में सोमवार को दिनभर कचरा नहीं उठा।

जब सुबह 11 बजे तक सफाई नहीं हुई तो नगर निगम के वार्ड दारोगा से लेकर झोन प्रभारी तक को फोन लगाया गया, लेकिन किसी ने न तो मोबाइल उठाया नहीं पलटकर जवाब दिया गया। - **रश्मी सक्सेना**, गृहणी, टाटा नगर

आमजन से अपील है कि उनके क्षेत्र में मैजिक वाहन कचरा संग्रहण के लिए नहीं आए या कर्मचारी सफाई नहीं करें तो सीधे मुझे 7471144900 नंबर पर वाट्सएप करके सूचना दे। इस मामले में सख्त कार्रवाई की जा रही है। - **सोमनाथ झारिया**, आयुक्त नगर निगम

पत्रिका

पत्रिका 12/10/21

एक मीट्रिक टन कचरा जुलवानिया ट्रेंचिंग ग्राउंड पहुंचाया

रतलाम। नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे, सड़कों व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन कर जुलवानिया ट्रेंचिंग ग्राउंड पर पहुंचाया जा रहा है। इसके तहत सोमवार को एक मीट्रिक टन कचरा जुलवानिया ट्रेंचिंग ग्राउंड पर पहुंचाया गया। डंपर से 55310, ट्रैक्टर-ट्राली से 5700, काम्पेक्टर सूखा कचरा 13985, काम्पेक्टर गीला कचरा 33255 कुल 108250 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेंचिंग ग्राउंड पहुंचाया गया।

नई.

नईदुनिया 12/10/21

एम.के. जैन का एक दिवस का वेतन काटा

रतलाम। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने नगर निगम के प्रभारी सहायक यंत्री एम.के. जैन द्वारा 11 अक्टूबर को प्रातः नगर निगम का मोबाईल नम्बर 7471144909 बंद रखने पर एक दिवस का वेतन काटकर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

प्रसारण 12/10/21

मोबाइल बंद रखा, कटेगा एक दिन का वेतन

रतलाम | मोबाइल बंद रखने पर नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने सहायक यंत्री एमके जैन का एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए हैं। आयुक्त ने बताया सोमवार सुबह निगम के मोबाइल नंबर पर उन्हें कॉल किया था, लेकिन मोबाइल बंद मिला। इस पर एक दिन का वेतन काटने के साथ कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है।

दै. भास्कर 12/10/21

एम.के. जैन का एक दिवस का वेतन काटा

रतलाम। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने नगर निगम के प्रभारी सहायक यंत्री एम.के.जैन द्वारा 11 अक्टूबर को प्रातः नगर निगम का मोबाईल नम्बर 7471144909 बंद रखने पर एक दिवस का वेतन काटकर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

राज एक्सप्रेस 12/10/21

एक दिन का वेतन काटा

रतलाम। नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने नगर निगम के प्रभारी सहायक यंत्री एमके जैन द्वारा 11 अक्टूबर को सुबह नगर निगम का मोबाइल नंबर बंद रखने पर एक दिन का वेतन काटकर सूचना पत्र जारी किया है।

नईदुनिया 12/10/21

प्रदेश में 70 लाख लोगों को नहीं लगी वैक्सीन की सेकंड डोज

वैक्सीन की सेकंड डोज के लिए 10 से 12 दिन बाद चलेगा अभियान

भास्कर न्यूज | भोपाल

प्रदेश में वैक्सीन की दूसरी डोज के लिए निर्धारित तय समय सीमा 84 दिन बीत जाने के बाद अब तक 70 लाख लोग वैक्सीनेशन के लिए नहीं पहुंचे है। इन लोगों का वैक्सीनेशन कराए जाने के लिए सरकार घर-घर तलाशी अभियान चलाएगी। यह अभियान 10 से 12 दिन बाद शुरू किया जाएगा। भिंड जिले में तो वैक्सीनेशन का आंकड़ा 81 फीसदी से आगे नहीं बढ़ रहा है, जिले में 19 फीसदी लोगों की तलाशी के लिए घर-घर अभियान चलाया जा चुका है। प्रदेश में अब तक 4 करोड़ 82 लाख लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, जबकि सेकंड डोज 1 करोड़ 75 लाख लोगों को लगी है। अब सरकार के सामने बड़ी चुनौती लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाना है। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की दूसरी डोज लगाए जाने के लिए विशेष अभियान चलाए जाने को कहा है। सीएम सोमवार को जिले के प्रभारी अधिकारियों के साथ कोविड नियंत्रण एवं टीकाकरण की वर्चुअल समीक्षा कर रहे थे।

इस दौरान यह बात भी सामने आई कि आखिर कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज में इतना बड़ा अंतर क्यों आ रहा है, जब लोगों को पहली डोज लगी तो दूसरी के लिए वे क्यों नहीं मिल पा रहे हैं। दरअसल, राज्य सरकार ने 18 से ज्यादा उम्र के जिन 5 करोड़ 39 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य तय किया था, जबकि अब तक 4 करोड़ 82 लाख लोगों का ही वैक्सीनेशन हो पाया है। इस मामले में यह बात सामने आई है कि राज्य सरकार के 18 से ज्यादा उम्र के लोगों के जो आंकड़े हैं वे तीन से चार साल पुराने है। इस दरम्यान लोग माइग्रेट हुए। भास्कर

सीएम बोले- वैक्सीन का दूसरा डोज ही सुरक्षा की गारंटी

सीएम ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन का दूसरा डोज ही सुरक्षा की गारंटी है। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए लोगों को इससे बचने की जरूरत है। टीके का दूसरा डोज सभी को लग जाए, इसके लिए गंभीरता से कार्य करें। अपने जिले की परिस्थितियों के हिसाब से जिला कलेक्टर से समन्वय कर तीन दिन में कार्य योजना तैयार करें। इस कार्य योजना की पुनः समीक्षा कर टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया जाए। अभी प्रदेश में 30 प्रतिशत लोगों को दूसरा डोज लग चुका है जो देश के 29 प्रतिशत से थोड़ा ज्यादा है। प्रदेश में 89 प्रतिशत लोगों को वैक्सीन का पहला डोज लग चुका है। मध्यप्रदेश प्रथम डोज लगाने में अग्रणी है। प्रथम डोज के प्रतिशत को बढ़ाने के प्रयास करें और इसे 90% तक लाएं।

दै. भास्कर 12/10/21

आयुष्मान कार्ड व सामाजिक सुरक्षा पेंशन सत्यापन कार्य की निगम आयुक्त झारिया ने की समीक्षा

- कार्य को तेजी से करने के दिए निर्देश - प्रोजेक्टर के माध्यम से कर्मचारियों को दिया प्रशिक्षण - निगम द्वारा अब तक 7524 आयुष्मान कार्ड बनाए गए

प्रसारण न्यूज ◆ रतलाम

आयुष्मान कार्ड बनाने के कार्य की प्रगति व सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों के सत्यापन कार्य की समीक्षा निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने अलकापुरी कम्युनिटी हॉल में करते हुए कहा कि यह शासकीय कार्य होने के साथ ही मानव सेवा का कार्य भी है, इस हेतु नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी तेजी से इस कार्य को पूर्ण कर रतलाम को नम्बर 1 बनाएं।

आयोजित समीक्षा बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राहियों का सत्यापन शासन निर्देशानुसार मोबाईल एप से किया जाता है, इस हेतु वार्ड दरोगा अपने-अपने मोबाईल में एम पेंशन मित्र एप डाउनलोड करे व इसकी आईडी बनाने हेतु समग्र आईडी व आधार कार्ड तत्काल निगम के आईटी सेल में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि आईडी बनने के बाद एम पेंशन मित्र पोर्टल पर अपना कार्यक्षेत्र दर्ज करेंगे, तो सभी हितग्राहियों की जानकारी मय फोटो के आ जाएगी, जिससे सत्यापन कार्य करने में सुविधा होगी। निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया कि बी पी एल राशन कार्डधारी को ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ प्राप्त होता है, साथ ही उन्हें आयुष्मान कार्ड बनाने की भी पात्रता है, इसलिए दोनों कार्य एक साथ किए जा सकते है।

आयुष्मान कार्ड की समीक्षा करते हुए निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि अपने-अपने कार्यक्षेत्र में जाकर ऐसे हितग्राही जो कि आयुष्मान कार्ड के लिए पात्र है, उन्हें निगम के आईटी सेल में मय दस्तावेजों के भेजकर आयुष्मान कार्ड बनवाना सुनिश्चित करें, इस कार्य के लिए आईटी सेल में 2 शिफ्टों में कम्प्युटर ऑपरेटरो को नियुक्त किया गया है।

आयोजित बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि रतलाम नगर में 11 हजार के लगभग सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राही है, जिनका सत्यापन किया जाना है, साथ ही रतलाम नगर में 24 हजार हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाया जाना है, इस हेतु नियुक्त अधिकारी व कर्मचारी तेजी से इस कार्य को पूर्ण करें, इसके व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु नगर में एलान भी कराया जा रहा है, साथ ही पम्पलेट का भी वितरण किया जाएगा।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों के सत्यापन व आयुष्मान कार्ड बनाने के कार्य का प्रशिक्षण प्रोजक्टर के माध्यम नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को दिया जाकर कार्य में आ रही परेशानियों का निराकरण किया गया।

आयुष्मान भारत ''निरामयम'' योजना अन्तर्गत रतलाम नगर के पात्र हितग्राहियों के निःशुल्क बनाने का कार्य नगर निगम के आईटी सेल कार्यालय में कार्यालयीन समय में बनाए जा रहे है, जिसके तहत 1 से 11 अक्टूबर तक 172 हितग्राहियों के कार्य बनाऐ जा चुके है।

आयोजित बैठक में उपायुक्त विकास सोलंकी, समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन नोडल प्रभारी श्रीमती ज्योति सुनारिया, आयुष्मान कार्ड सहायक नोडल अधिकारी ए.पी. सिंह, समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहायक नोडल अधिकारी श्रीमती आयुशी पालीवाल, 1 से 49 वार्ड के वार्ड प्रभारी (दरोगा) व उक्त कार्य में नियुक्त कर्मचारी उपस्थित थे।

प्रसारण

प्रसारण 12/10/21

खुले में गंदगी करने का 14 पर जुर्माना

रतलाम। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं, मलबा डालकर अतिक्रमण करते है उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 10 अक्टूबर को 14 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार खुले में गंदगी करने पर जगदीश, सूरजबाई, कलीम, जगदीश कालिका माता, शिव सोनकर बाल चिकित्सालय, गंगाराम, गंगा चायवाला, विनोद बाजना बस स्टैण्ड, श्रीराम खण्डेलवाल, वाईन शॉप स्टेशन रोड, सत्री गीता मंदिर रोड पर 100-100 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी।

मोबाइल बंद रखा, एक दिवस का वेतन काटा

नगर निगम के एक अधिकारी पर लापरवाही करने पर कार्रवाई कर एक दिवस का वेतन काटा गया। जानकारी के अनुसार नगर निगम के प्रभारी सहायक यंत्री एमके जैन द्वारा निगम का प्रदाय किया गया मोबाइल फोन को बंद रखा गया। इस लापरवाही पर उनका एक दिवस का वेतन काटा गया हैं। निगम अधिकारियों के अनुसार निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने नगर निगम के प्रभारी सहायक यंत्री एमके जैन द्वारा 11 अक्टूबर को प्रातः नगर निगम का मोबाईल नम्बर बंद रखने पर एक दिवस का वेतन काटकर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

नवभारत 12/10/21

खुले में गंदगी करने पर 11 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं, मलबा डालकर अतिक्रमण करते हैं, उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है, जिसके तहत 10 अक्टूबर को 14 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार खुले में गंदगी करने पर जगदीश, सूरजबाई, कलीम, जगदीश कालिका माता, शिव सोनकर बाल चिकित्सालय, गंगाराम, गंगा चायवाला, विनोद बाजना बस स्टैण्ड, श्रीराम खण्डेलवाल, वाईन शॉप स्टेशन रोड, सत्री गीता मंदिर रोड पर 100-100 रूपए का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी।

प्रसारण 12/10/21

खुले में गंदगी करने पर 11 लोगों पर जुर्माना

रतलाम। नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं, मलबा डालकर अतिक्रमण करते है उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 10 अक्टूबर को 14 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार खुले में गंदगी करने पर जगदीप, सूरजबाई, कलीम, जगदीश कालिका माता, शिव सोनकर बाल चिकित्सालय, गंगाराम, गंगा चायवाला, विनोद बाजना बस स्टैण्ड, श्रीराम खण्डेलवाल, वाईन शॉप स्टेशन रोड, सत्री गीता मंदिर रोड पर 100-100 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी।

राज एक्सप्रेस 12/10/21

11 लोगों से वसूला जुर्माना

रतलाम। खुले में गंदगी करने पर जगदीश, सूरजबाई, कलीम, जगदीश कालिका माता, शिव सोनकर बाल चिकित्सालय, गंगाराम, गंगा चायवाला, विनोद बाजना बस स्टैंड, श्रीराम खंडेलवाल, वाइन शाप स्टेशन रोड, सत्री गीता मंदिर रोड से 100-100 रुपये का जुर्माना वसूला गया। सभी को भविष्य में गंदगी नहीं करने की समझाइश भी दी गई।

नईदुनिया 12/10/21

परीक्षण कर निरस्त करें द्वारका रेसीडेंसी की अनुमति

निगम व टीएनसीपी को कलेक्टर का आदेश, शासकीय भूमि को मिलीभगत कर रास्ता बताने वाले अधिकारियों पर भी होगी कार्रवा

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। सैलाना रोड ओवरब्रिज के पास स्थित द्वारका रेसीडेंसी में आगे की 15276 वर्गफीट शासकीय भूमि को सुरक्षित करने के बाद एप्रोच रोड बताने के मामले में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने सोमवार को मामले में निर्णय दे दिया। कलेक्टर ने नगर निगम आयुक्त व उप संचालक नगर व ग्राम व निवेश विभाग को विधि अनुसार परीक्षण कर अनुमति निरस्त करने के निर्देश दिए हैं। वहीं नगर निगम व टीएनसीपी के उन अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए शासन को प्रस्ताव भेजने का भी आदेश दिया है जिन्होंने बिल्डर के साथ मिलीभगत कर शासकीय भूमि का रास्ता बताया। पूरे मामले में 15 दिन में प्रतिवेदन देने के आदेश दिए गए हैं।

मालूम हो कि 28 अगस्त को कलेक्टर के निर्देश पर द्वारका रेसीडेंसी के आगे के हिस्से की भूमि पर पोल लगाकर शासकीय भूमि सुरक्षित की गई थी। इसके बाद द्वारका रेसीडेंसी के संचालक जितेंद्र नागल द्वारा हाईकोर्ट में याचिका लगाने पर कलेक्टर को सुनवाई के लिए निर्देशित किया गया। प्रकरण में सुनवाई के बाद अब फैसला दिया गया है।

द्वारका रेसीडेसी पर आगे की भूमि अब प्रशासन के अधीन ही रहेगी। ● नईदुनिया

शासकीय भूमि निजी को नहीं दे सकते : आदेश में कहा गया है कि शासकीय भूमि व सार्वजनिक संपत्ति किसी व्यक्ति विशेष/कालोनाइजर/डेवलपर्स के उपयोग के लिए नहीं दी जा सकती है। डेवलपर को फायदा पहुंचाने के लिए कतिपय अधिकारियों द्वारा यह कार्य किया गया। आयुक्त नगर निगम तथा उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश आवेदक जितेन्द्र नागल को दी गई अनुमति का परीक्षण कर विधि अनुसार निरस्त करने की कार्रवाई करे और दोषी अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का प्रस्ताव शासन को भेजा जाए।

रास्ते की भूमि का स्वामित्व स्पष्ट नहीं : आदेश में उल्लेख किया गया कि प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि वर्तमान में जिस भूमि पर निर्माण चल रहा है, उस भूमि का पूर्व में भी विवाद था तथा उच्च न्यायालय खंडपीठ, इंदौर के आदेश से उनका नामांतरण हुआ था। लेकिन जिस भूमि को अपना रास्ता बताया गया उसका स्वामित्व उनके पास कहां से व किस प्रकार आया? यह स्पष्ट नहीं है। कोई कालोनाइजर, डेवलपर्स किसी शासकीय भूमि को रास्ता तभी बता सकता है जब वह उसके स्वामित्व की है या राजस्व अभिलेखों में वह सार्वजनिक मार्ग के रूप में अंकित हो। सर्वे क्रमांक 43/1 न उनके स्वामित्व और न ही शासकीय रास्ते के रूप में दर्ज है। राजस्व अभिलेखों के अनुसार तथा मौके की स्थिति को देखते हुए यह पूर्ण रूप से शासकीय भूमि तथा शासन के अधीन है।

नजूल से मिली अनुमति में आगे की भूमि रास्ते के रूप में ही दर्ज है। आइल मिल, रेलवे कालोनी के लिए आवागमन भी इसी जमीन से होता रहा है। ब्रिज के दोनों ओर रास्ता रहता ही है। हम अपील कोर्ट में जाएंगे।
-जितेंद्र नागल, डेवलपर द्वारका रेसीडे

अधिकारियों की मिलीभगत

कलेक्टर के आदेश में उल्लेख किया गया है कि हैदरी एंड सन्स के नाम रकबा 0.780 हेक्टेयर भूमिस्वामी स्वत्व की दर्ज थी। आवेदक को स्वयं की भूमि में ही एप्रोच रोड का निर्माण करना था। इसी भूमि पर उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के आदेश से स्वामित्व मिला था, लेकिन नगर निगम तथा नगर व ग्राम निवेश के अधिकारियों के साथ दुरभिसंधि कर शासकीय भूमि को रास्ता बताकर अनुमति प्राप्त की गई। अगर इस शासकीय भूमि को सुरक्षित नहीं रखा जाता है तो 15276 वर्गफीट भूमि जिसका बाजार मूल्य तीन करोड़ से अधिक है, उसका शासन को नुकसान होता।

नईदुनिया 12/10/21

वैक्सीन का दूसरा डोज ही कोरोना से सुरक्षा की गारंटी : मुख्यमंत्री

कोविड नियंत्रण एवं टीकाकरण की वर्चुअल समीक्षा बैठक

प्रसारण न्यूज • भोपाल

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन का दूसरा डोज ही सुरक्षा की गारंटी है। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए लोगों को इससे बचने के लिए सजग रहने की जरूरत है। टीकाकरण ही इससे बचाव का प्रभावी उपाय है। जिन्होंने वैक्सीन का प्रथम डोज लगवा लिया है वे दूसरा डोज अवश्य लगवायें। मुख्यमंत्री श्री चौहान निवास से जिले के प्रभारी अधिकारियों के साथ कोविड नियंत्रण एवं टीकाकरण की वर्चुअल समीक्षा कर रहे थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रभारी अधिकारी कोरोना से बचाव औरटीकाकरण की प्रभावी कार्य-योजना बनायें। टीके का दूसरा डोज सभी को लग जाए, इसके लिए गंभीरता से कार्य करें। अपने जिले की परिस्थितियों के हिसाब से जिला कलेक्टर से समन्वय कर तीन दिवस में कार्य-योजना तैयार करें। इस कार्य-योजना की पुनः समीक्षा कर टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोविड नियंत्रण के लिए महाअभियान चलाकर वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाया जायेगा। जिस तरह प्रथम डोज लगवाने के लिए सभी ने सक्रियता से कार्य किया है, उसी तरह दूसरा डोज लगाने के लिए भी पूरी गंभीरता से कार्य करें। वैक्सीन के दूसरे डोज का प्रतिशत बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास करें। अभी प्रदेश में 30 प्रतिशत लोगों को दूसरा डोज लग चुका है जो देश के 29 प्रतिशत औसत से थोड़ा अधिक है। हमारा प्रयास हो कि प्रथम डोज लगवा चुके सभी व्यक्तियों को दूसरा डोज लग जाए। टीके के प्रथम एवं दूसरे डोज के अंतर की पूर्ति करने का भी प्रयास करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में 89 प्रतिशत लोगों को वैक्सीन का प्रथम डोज लग चुका है। प्रथम डोज लगाने में हम देश में अग्रणी हैं जो देश के 73 प्रतिशत औसत से अधिक है। प्रथम डोज के प्रतिशत को भी बढ़ाने के प्रयास करें और इसे 90 प्रतिशत तक ले आयें।

मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान, प्रबंध संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन श्रीमती प्रियंका दास, आयुक्त जनसंपर्क डॉ. सुदाम खाड़े, अपर सचिव मुख्यमंत्री श्रीमती छवि भारद्वाज सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

प्रसारण 12/10/21

प्रोजेक्टर के माध्यम से कर्मचारियों को दिया हितग्राहियों के सत्यापन व आयुष्मान कार्ड बनाने का प्रशिक्षण

रतलाम। आयुष्मान कार्ड बनाने के कार्य की प्रगति व सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों के सत्यापन कार्य की समीक्षा निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने अलकापुरी कम्युनिटी हॉल में करते हुए कहा कि यह शासकीय कार्य होने के साथ ही मानव सेवा का कार्य भी है इस हेतु नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी तेजी से इस कार्य को पूर्ण कर रतलाम को नम्बर 1 बनायें।

निगमायुक्त ने निर्देशित किया कि अपने-अपने कार्यक्षेत्र में जाकर ऐसे हितग्राही जो कि आयुष्मान कार्ड के लिये पात्र है उन्हे निगम के आईटी सेल में मय दस्तावेजो के भेजकर आयुष्मान कार्ड बनवाना सुनिश्चित् करें। इस कार्य के लिये आईटी सेल में 2 शिफ्टों में कम्प्युटर आपरेटरो को नियुक्त किया गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों के सत्यापन व आयुष्मान कार्ड बनाने के कार्य का प्रशिक्षण प्रोजक्टर के माध्यम नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को दिया जाकर कार्य में आ रही परेशानियों का निराकरण किया गया। आयोजित बैठक में उपायुक्त विकास सोलंकी, समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन नोडल प्रभारी ज्योति सुनारिया, आयुष्मान कार्ड सहायक नोडल अधिकारी एपी सिंह, समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहायक नोडल अधिकारी आयुषी पालीवाल, 1 से 49 वार्ड के वार्ड प्रभारी (दरोगा) व उक्त कार्य में नियुक्त कर्मचारी उपस्थित थे।

7524 हितग्राहियों के कार्ड बनाये

आयुष्मान भारत "निरामयम" योजना अन्तर्गत रतलाम नगर के पात्र हितग्राहियों के नि:शुल्क बनाने का कार्य नगर निगम के आईटी सेल कार्यालय में कार्यालयीन समय में बनाये जा रहे है जिसके तहत 1 से 11 अक्टूबर तक 172 हितग्राहियों के कार्ड बनाये जा चुके है। इससे पूर्व वार्डवार गठित दलों व उचित मूल्य की दुकानों पर 7316 कार्ड बनाये गये थे इस तरह अब तक 7524 आयुमान कार्ड बनाये जा चुके हैं।

नवभारत 12/10/21

कलेक्टर ने समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश

स्कूलों में शिक्षकों की अनुपस्थिति पर कलेक्टर हुए सख्त, अधिकारियों पर कार्रवाई होगी

रतलाम ● स्वदेश समाचार

जिले में स्कूलों के निरीक्षण के दौरान शिक्षकों की अनुपस्थिति, बगैर बताए गैर हाजरी, बगैर अवकाश स्वीकृति के स्कूलों में शिक्षकों की अनुपस्थिति पर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा सख्त रवैया अख्तियार किया गया है। शिक्षा विभाग को निर्देशित किया गया है कि यदि शिक्षकों की स्कूलों में उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की गई तो ना केवल शिक्षक बल्कि अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी।

समयावधि पत्रों की सोमवार को संपन्न बैठक में कलेक्टर ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्कूलों में समय सीमा में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करें। विकासखंड शिक्षा अधिकारी हफ्ते में 4 दिन स्कूलों का निरीक्षण करेंगे। सभी एसडीएम, तहसीलदारों तथा जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को भी स्कूलों के निरीक्षण और शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया। कलेक्टर द्वारा बैठक में विभिन्न विभागों की समीक्षा की गई।

माफियाओं के विरूद्ध कार्रवाई जारी रखे

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों की भी जानकारी ली गई। शासन के निर्देशानुसार पटवारियों की सोमवार तथा गुरुवार को उनके

मुख्यालय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा गया अन्यथा की स्थिति में संबंधित तहसीलदार जिम्मेदार रहेगा। भू-माफिया तथा अन्य माफियाओं के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई जारी रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए।

ग्रामीण में 15 अवैध कॉलोनाइजर को नोटिस

तहसीलदार ग्रामीण ने बताया कि नामली में 15 अवैध कॉलोनियां चिन्हित की गई हैं जिनके विरुद्ध नोटिस जारी किए जा रहे हैं, उसके पश्चात कार्रवाई की जाएगी। जावरा की टीम द्वारा की गई कार्रवाई की सराहना करते हुए कलेक्टर द्वारा इसी प्रकार की कार्रवाई अन्य एसडीएम तथा तहसीलदारों को भी करने के लिए निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई में यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि नीचे का अमला वातावरण का अनैतिक लाभ नहीं उठाएं।

कलेक्टर द्वारा समयावधि पत्रों की बैठक में वाणिज्य कर अधिकारी को भी उपस्थित रहने के लिए निर्देशित किया गया। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की समीक्षा में सहकारिता विभाग को बेहतर कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया। ऊर्जा विभाग को 90 अंक लाने, जावरा के तहसीलदार तथा मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं आलोट मुख्य नगरपालिका अधिकारी के कमजोर परफॉर्मेंस पर नाराजगी व्यक्त की गई। आलोट, जावरा के नगर पालिका अधिकारियों के प्रति असंतोष व्यक्त करते हुए कहा गया कि उनके कारण जिले की रैंकिंग खराब हो रही है।

जिले का सतत भ्रमण करें

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रभाकर ननावरे को कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया कि वह जिले का सतत भ्रमण करें और स्वास्थ्य कार्यक्रमों योजनाओं की मानिटरिंग करें। इस संदर्भ में कलेक्टर द्वारा जिला पंचायत सीईओ श्रीमती जमुना भिड़े का उदाहरण दिया गया जिनके द्वारा सीईओ का चार्ज लेने के मात्र 12 दिनों में ही सभी जनपद पंचायतों का भ्रमण कर लिया गया। आरटीओ को भी सीएम हेल्पलाइन परफॉर्मेंस में सुधार के लिए निर्देशित किया गया।

खाद्य विभाग के खिलाफ नाराजगी

कलेक्टर, फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर्स की कार्यप्रणाली से इस बैठक में भी नाराज रहे। खासतौर पर सैलाना, बाजना, रावटी क्षेत्रों में मिलावट की जांच करने नमूने लेने के कार्य में इंस्पेक्टर द्वारा लेतलाली बरतने पर नाराजगी व्यक्त की गई। जिले में वनाधिकार अधिनियम के तहत बाजना तथा सैलाना क्षेत्रों के आदिवासी हितग्राहियों को सभी शासकीय दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, समग्र आईडी उपलब्ध कराने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिए गए। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दौरा प्रोग्राम नियमित रूप से बनाकर कलेक्टर से अनुमोदन करवाएं। सप्ताह में कम से कम 2 दिवस मैदानी क्षेत्र का भ्रमण अनिवार्य रूप से करें।

स्वदेश 12/10/21

रास्ते की जांच : बिल्डर द्वारा सीसी कर कब्जाई 8950 वर्गफीट जमी सरकारी निकली, निरस्त होगी निर्माण अनुमति व टीएंडसीपी का नक्श

कलेक्टर ने आयुक्त व उप संचालक टीएंडसीपी को अनुमति निरस्ती की कार्रवाई कर 15 दिन में प्रतिवेदन देने को कह

धोखे की द्वारका रेजीडेंसी

भास्कर संवाददाता | रतलाम

राम मंदिर के सामने अधूरी पड़ी द्वारका रेजीडेंसी की निर्माण अनुमति 15 दिन में निरस्त हो जाएगी। इसी दौरान टीएंडसीपी द्वारा पास किया मल्टी का नक्शा कैंसिल हो जाएगा। रिकॉर्ड चेक करने और बिल्डर द्वारा दिए दस्तावेज की जांच के बाद मल्टी के सामने रास्ता बताकर बिना अनुमति सीसी वर्क करके बिल्डर द्वारा कब्जाई 8950 वर्गफीट जमीन सरकारी निकली है। इसके बाद कार्रवाई करते हुए सोमवार को कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने आदेश निकाल दिए। निर्माण अनुमति नगर निगम कमिश्नर और नक्शा टीएंडसीपी के उपसंचालक निरस्त करेंगे। इतना ही नहीं जिन अधिकारियों ने बिल्डर जितेंद्र नागल के साथ मिलीभगत कर 3 करोड़ से ज्यादा कीमत वाली सरकारी जमीन को रास्ता बताकर अनुमतियां जारी की उनके खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव शासन को भेजेंगे।

कलेक्टर ने अफसरों को 15 दिन में कार्रवाई कर प्रतिवेदन देने को कहा है। इस सख्त आदेश से यह तो तय है कि द्वारका रेसीडेंसी कभी पूरी नहीं बन पाएगी इसके निर्माण के लिए बिल्डर नागल के झांसे में आकर पैसा लगाने वाले निवेशक और ऊंची कीमत पर दुकानें आशीष चेंबर और फ्लैट बुक कराने वाले खरीदारों के पास बुकिंग अमाउंट वापस लेने के लिए सिर्फ 15 दिन का समय है इस दौरान अगर उन्होंने लिखित कार्यवाही नहीं की तो उनके पैसे अटक सकते हैं। कलेक्टर की कार्रवाई से ट्रैफिक में हिस्सेदारी मांग कर जमीन देने वाले तेरह पार्टनर में भी हड़कंप है इन्होंने बिल्डर से किया अनुबंध समय रहते निरस्त नहीं किया तो बहुमूल्य जमीन उलझ कर रह जाएगी।

कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया द्वारका रेजीडेंसी के सामने वाली जमीन सरकारी है। उसे रास्ता बताकर बिल्डर ने अनुमतियां ली है। उनका परीक्षण कर विधि अनुसार निरस्त किया जाएगा। ये कार्रवाई करने के लिए नगर निगम कमिश्नर और टीएंडसीपी उपसंचालक को आदेश दिए हैं। 15 दिन में प्रतिवेदन भी देना होगा। भास्कर

बिल्डर नहीं बता पाया रास्ते की जमीन का स्वामित्व

कलेक्टर की सुनवाई और दिए दस्तावेज में बिल्डर यह नहीं बता पाया कि जिस 15276 वर्ग फीट जमीन को रास्ता बता रहा है उसक स्वामित्व उसके पास कहां से और कैसे आया। इतना ही नहीं यह भी साबित हो गया है कि न्यायालय के आदेश से जितनी जमीन हैदरी ए संस को नामांतरित की थी कॉलोनाइजर ने उसके अतिरिक्त सरकारी भूमि का उपयोग एप्रोच रोड बनाने के लिए किया है।

रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर ने की थी कार्रवाई

शिकायत मिलने के बाद कलेक्टर ने 9 अगस्त को द्वारका रेजीडेंसी की जांच के लिए समिति बनाई थी। इसमें नगर निगम कमिश्नर, सिटी एसडीएम और टीएंडसीपी के उपसंचालक शामिल थे। 24 अगस्त को समिति ने रिपोर्ट कलेक्टर को दी। सर्वे क्रमांक 43/1 की रकबा 1. 7 10 हेक्टेयर को राजस्व अभिलेख सरकारी जमीन दर्ज होना बत था। इसके बाद 29 अगस्त क नगर निगम और राजस्व की ने द्वारका रेजीडेंसी के सामने लोहे की जाली लगाकर सरक जमीन को सुरक्षित कर लिया इसके बाद से ही रेजीडेंसी क काम बंद है।

दै. भास्कर 12/10/21

कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश

माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई में नीचे का अमला वातावरण का अनैतिक लाभ नहीं उठाएं

प्रसारण

प्रसारण न्यूज़ • रतलाम

- स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए
- खंड शिक्षा अधिकारी हफ्ते में 4 दिन स्कूलों का निरीक्षण करेंगे

जिले में स्कूलों के निरीक्षण के दौरान शिक्षकों की अनुपस्थिति, बगैर बताए गैर हाजरी, बगैर अवकाश स्वीकृति के स्कूलों में शिक्षकों की अनुपस्थिति पर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा सख्त रवैया अख्तियार किया गया है। शिक्षा विभाग को निर्देशित किया गया है कि यदि शिक्षकों की स्कूलों में उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की गई तो ना केवल शिक्षक बल्कि अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। समयावधि पत्रों की सोमवार को संपन्न बैठक में कलेक्टर ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्कूलों में समय सीमा में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करें। विकासखंड शिक्षा अधिकारी हफ्ते में 4 दिन स्कूलों का निरीक्षण करेंगे। बैठक में अपर कलेक्टर एम.एल. आर्य, जिला वन मंडल अधिकारी डुडवे तथा जिला अधिकारी उपस्थित थे।

सभी एसडीएम, तहसीलदारों तथा जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को भी स्कूलों के निरीक्षण और शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया। कलेक्टर द्वारा बैठक में विभिन्न विभागों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री हेल्प लाइन में लंबित शिकायतों की भी जानकारी ली गई। शासन के निर्देशानुसार पटवारियों की सोमवार तथा गुरुवार को उनके मुख्यालय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा गया, अन्यथा की स्थिति में संबंधित तहसीलदार जिम्मेदार रहेगा। भू-माफिया तथा अन्य माफियाओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई जारी रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए।

तहसीलदार ग्रामीण ने बताया कि नामली में 15 अवैध कॉलोनिया चिन्हित की गई है, जिनके विरुद्ध नोटिस जारी किए जा रहे हैं, उसके पश्चात कार्रवाई की जाएगी। जावरा की टीम द्वारा की गई कार्रवाई की सराहना करते हुए कलेक्टर द्वारा इसी प्रकार की कार्रवाई अन्य एस डी एम तथा तहसीलदारों को भी करने के लिए निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई में यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि नीचे का अमला वातावरण का अनैतिक लाभ नहीं उठाएं।

कलेक्टर द्वारा समयावधि पत्रों की बैठक में वाणिज्य कर अधिकारी को भी उपस्थित रहने के लिए निर्देशित किया गया। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की समीक्षा में सहकारिता विभाग को बेहतर कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया। ऊर्जा विभाग को 90 अंक लाने, जावरा के तहसीलदार तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं आलोट मुख्य नगर पालिका अधिकारी के कमजोर परफॉर्मेंस पर नाराजगी व्यक्त की गई। आलोट, जावरा के नगर पालिका अधिकारियों के प्रति असंतोष व्यक्त करते हुए कहा गया कि उनके कारण जिले की रैंकिंग खराब हो रही है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रभाकर ननावरे को कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया कि वह जिले का सतत भ्रमण करें और स्वास्थ्य कार्यक्रमों योजनाओं की मॉनिटरिंग करें। इस संदर्भ में कलेक्टर द्वारा जिला पंचायत सीईओ श्रीमती जमुना भिड़े का उदाहरण दिया गया, जिनके द्वारा सीईओ का चार्ज लेने के मात्र 12 दिनों में ही सभी जनपद पंचायतों का भ्रमण कर लिया गया। आर टी ओ को भी सीएम हेल्पलाइन परफॉर्मेंस में सुधार के लिए निर्देशित किया गया। कलेक्टर, फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर्स की कार्य प्रणाली से इस बैठक में भी नाराज रहे। खासतौर पर सैलाना, बाजना, रावटी क्षेत्रों में मिलावट की जांच करने नमूने लेने के कार्य में इंस्पेक्टर द्वारा लेतलाली बरतने पर नाराजगी व्यक्त की गई।

जिले में वनाधिकार अधिनियम के तहत बाजना तथा सैलाना क्षेत्रों के आदिवासी हितग्राहियों को सभी शासकीय दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, समग्र आईडी उपलब्ध कराने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिए गए।

कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि टूर प्रोग्राम नियमित रूप से बनाकर कलेक्टर से अप्रूव करवाएं। सप्ताह में कम से कम 2 दिवस मैदानी क्षेत्र का भ्रमण अनिवार्य रूप से करें।

प्रसारण 12/10/21

डेंगू : एलाइजा टेस्ट में 6 नए पॉजिटिव मिले

भास्कर संवाददाता | रतलाम

जिले में डेंगू का प्रकोप जारी है। सोमवार को 6 नए पॉजिटिव सामने आए हैं। 393 से ज्यादा पॉजिटिव मिल चुके हैं। इधर, शहर में लार्वा मिलने का सिलसिला जारी है।

इस साल शहर में डेंगू का प्रकोप सबसे ज्यादा है। सोमवार से एलाइजा टेस्ट की जांच हुई, इसमें मेडिकल कॉलेज में 3 और जिला अस्पताल में 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। डेंगू नए रिकॉर्ड बनाने के करीब है। पॉजिटिव 400 के करीब आ गए हैं, इससे पहले 2018 में रिकॉर्ड बना था, उस साल 242 मरीज सामने आए थे। इधर, शहर में लगातार सर्वे हो रहा है। इसमें लार्वा मिल रहा है। मलेरिया अधिकारी डॉ. प्रमोद प्रजापति ने बताया मच्छरों से बचाव प्राथमिकता में करें। घरों में कंटेनर और ड्रम में लार्वा मिल रहा है। ऐसी जगह जहां पानी एकत्र होता हो, या खुली जगह में रखी पुरानी वस्तुओं में बारिश का पानी हटा देंवे। कूलर को सप्ताह में एक दिन साफ करें। उपयोग में नहीं है तो उसमें पानी ना रखे।

दै. भास्कर १२/१०/२१

डेंगू के छह नए मरीज मिले

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। एलाइजा जांच शुरू होते ही डेंगू के अधिकृत मरीजों की संख्या फिर से बढ़ने लगी है। सोमवार को 31 रिपोर्ट में डेंगू के छह नए मरीज मिले। इस तरह आंकड़ा बढ़ते हुए 414 पहुंच गया। इसमें जिला अस्पताल और मेडिकल कालेज लैब के मामले भी शामिल हैं।

जिला अस्पताल, मेडिकल कालेज, बाल चिकित्सालय और निजी अस्पतालों में एंटीजन किट जांच में नए मरीज मिले, जिनका उपचार चालू हो गया है। मेडिकल कालेज अस्पताल के सभी सात वार्डों में मरीज आ-जा रहे हैं। प्लेटलेट्स लेने के लिए भी कतार लग रही है। मलेरिया विभाग का सर्वे भी चलता रहा और 50 से अधिक घरों में लार्वा मिला, जिसे नष्ट कराया गया है। बुखार के संदिग्ध मरीजों की एलाइजा जांच कराई जा रही है। जिला मलेरिया अधिकारी डा. प्रमोद प्रजापति ने बताया कि नए मामले मिले हैं। एंटीजन किट जांच में पाजिटिव आने वाले मरीजों को भी हम संज्ञान में ले रहे हैं।

नईदुनिया १२/१०/२१

घर बैठे मिलेगी कोविड की आरटीपीसीआर रिपोर्ट

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। शासकीय मेडिकल कालेज रतलाम की माइक्रोबायलाजी लैब में एक नया साफ्टवेयर चालू किया गया है। इसके माध्यम से अब कोविड की आरटीपीसीआर रिपोर्ट घर बैठे प्राप्त हो जाएगी। अभी तक लैब में जाकर रिपोर्ट लेना पड़ती थी और वहीं मान्य होती थी। डीन डा. जितेंद्र गुप्ता ने बताया कि माइक्रोबायलोजी लैब में कोविड की जांच साफ्टवेयर के माध्यम से हो रही है और रिपोर्ट पोर्टल पर शीघ्र आपलोड हो जाती है। इससे समय की बचत हो रही है। अब इसी साफ्टवेयर के द्वारा घर बैठे कोविड की आरटीपीसीआर रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी। लैब से रिपोर्ट प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए हिंरॉज:/ /सेंयसब ेचननअ.हनैही/ जाचीव/सओजाजिनाज.रासन ओपन करने के बाद ×पिगी ईकीहिवी में अपनी इड्य 'घ एवं भनेनीवीह गर्चाीह में जिस दिन सैंपल लिया गया हो, तारीख डालनी है। फिर क्षी ड्डीी पर भनेबं करते ही रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी, जिसे डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं। डीन ने बताया कि माइक्रोबायलाजी विभागाध्यक्ष डा. प्रफुल्ल सोनगरा ने यह प्रक्रिया लैब में लागू करा दी है। अब यह यह रिपोर्ट रेलवे ट्रेवलिंग, हास्पिटल में सर्जरी, स्कूल एडमिशन तथा अन्य सभी जगह मान्य है। हालांकि इस रिपोर्ट में क्यूआर कोड नहीं है। इसलिए ऐसे व्यक्ति जिनको फ्लाइट से ट्रेवल करना है और क्यूआर कोड की आवश्यकता है, वह माइक्रोबायलाजी लैब से रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं।

नईदुनिया १२/१०/२१

हमारे जागरूक पाठकों की बोलती तस्वीरें

मुख्य के साथ ही कॉलोनियों की सड़कें भी हो गईं खराब

रतलाम | शहर के मुख्य मार्गों की हालत तो खराब है। मुख्य मार्गों के साथ ही मोहल्लों की सड़कें भी बारिश से छलनी हो गई हैं लेकिन कोई देखने और सुनने वाला तक नहीं है। इससे लोगों का जर्जर सड़क से गुजरना अब मजबूरी बन गया है।

विनोबानगर : 10 साल से परेशानी झेल रहे हैं, कोई नहीं सुनता

ये फोटो विनोबानगर विश्वेश्वर महादेव मंदिर के सामने की है। इसे समाजसेविका जाया जोशी ने भेजा है। उन्होंने बताया पिछले दस साल से सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। अब तक निगम को परेशानी बता कर ही थक गए हैं।

आनंद कॉलोनी : अफसर गुजरते हैं इस रोड से फिर भी ये हैं हाल

ये आनंद कॉलोनी मुख्य मार्ग है। इसे इमरान खान ने भेजा है। उन्होंने बताया रोड का निर्माण लंबे समय से नहीं हुआ है। इससे दिनभर धूल उड़ रही है। इस रोड से अफसर भी गुजरते हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इसके लिए जनप्रतिनिधि और निगम के अफसर जिम्मेदार हैं।

तिरुपति नगर : गड्ढों की भरमार, आना-जाना हुआ मुश्किल

ये फोटो तिरुपति नगर का है। इसे अविनाश लड्ढा ने भेजा है। उन्होंने बताया कि इस रोड पर हॉस्पिटल भी है। बावजूद ये हाल इस रोड की स्थिति खराब है और लोगों को आने जाने में दिक्कत आ रही है।

कॉमर्स कॉलेज : स्टूडेंट के साथ ही वाहन चालक परेशान

ये फोटो कॉमर्स कॉलेज मुख्य मार्ग की है। इसी रोड से डोंगरानगर भी पहुंचते हैं। इस फोटो को निश्चयसिंह गोयल

द्वारका रेसीडेंसी की अनुमति पर 15 दिन में टीएनसीपी, नगर निगम करे कार्रवाई

रतलाम। सैलाना रोड ओवरब्रिज के पास स्थित द्वारका रेसीडेंसी में आगे की 15276 वर्गफीट शासकीय भूमि को सुरक्षित करने के बाद एप्रोच रोड़ बताने के मामले में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने सोमवार को मामले में निर्णय भी दे दिया। कलेक्टर ने नगर निगम आयुक्त व उप संचालक नगर व ग्राम व निवेश विभाग को विधि अनुसार परीक्षण कर अनुमति निरस्त करने के निर्देश दिए है, वहीं नगर निगम व टीएनसीपी के उन अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए शासन को प्रस्ताव भेजने का भी आदेश दिया है, जिन्होंने बिल्डर के साथ मिलीभगत कर शासकीय भूमि का रास्ता बताया। पूरे मामले में 15 दिन में प्रतिवेदन देने के आदेश दिए गए है।

मालूम हो कि 28 अगस्त को कलेक्टर के निर्देश पर द्वारका रेसीडेंसी के आगे के हिस्से की भूमि पर पोल लगाकर शासकीय भूमि सुरक्षित की गई थी। इसके बाद द्वारका रेसीडेंसी के संचालक जितेंद्र नागल द्वारा हाईकोर्ट में याचिका लगाने पर कलेक्टर को सुनवाई के लिए निर्देशित किया गया। प्रकरण में सुनवाई के बाद अब फैसला दिया गया है।

प्रसारण

प्रसारण 12/10/21

और सुनने वाला तक नहीं है। इससे लोगों का जर्जर सड़क से गुजरना अब मजबूरी बन गया है।

विनोबानगर : 10 साल से परेशानी झेल रहे हैं, कोई नहीं सुनता

ये फोटो विनोबानगर विश्वेश्वर महादेव मंदिर के सामने की है। इसे समाजसेविका जाया जोशी ने भेजा है। उन्होंने बताया पिछले दस साल से सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। अब तक निगम को परेशानी बता कर ही थक गए हैं।

आनंद कॉलोनी : अफसर गुजरते हैं इस रोड से फिर भी ये हैं हाल

ये आनंद कॉलोनी मुख्य मार्ग है। इसे इमरान खान ने भेजा है। उन्होंने बताया रोड का निर्माण लंबे समय से नहीं हुआ है। इससे दिनभर धूल उड़ रही है। इस रोड से अफसर भी गुजरते हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इसके लिए जनप्रतिनिधि और निगम के अफसर जिम्मेदार हैं।

तिरुपति नगर : गड्ढों की भरमार, आना-जाना हुआ मुश्किल

ये फोटो तिरुपति नगर का है। इसे अविनाश लड्ढा ने भेजा है। उन्होंने बताया कि इस रोड पर हॉस्पिटल भी है। बावजूद ये हाल इस रोड की स्थिति खराब है और लोगों को आने जाने में दिक्कत आ रही है।

कॉमर्स कॉलेज : स्टूडेंट के साथ ही वाहन चालक परेशान

ये फोटो कॉमर्स कॉलेज मुख्य मार्ग की है। इसी रोड से डोंगरानगर भी पहुंचते हैं। इस फोटो को निश्चयसिंह गोयल ने भेजा है। उन्होंने इस रोड के लिए निगम प्रशासन, सेतु निर्माण विभाग और रेलवे प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है।